

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(आय-व्ययक अनुभाग)
सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश।

संख्या: जी-688/आई0बी0/108बी0-22ए/अनु0-94/पूँजीलेखा

लखनऊ: दिनांक : 10 नवम्बर, 2017

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या: 94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) पूँजीलेखा के अन्तर्गत शासनादेश सं0-231/2017/2724/17-27-सिं-4-01 (डब्ल्यू) परि0/16, दिनांक 07.11.2017 द्वारा "जगोसरन से भेटुआ जू0हा0 स्कूल तक अमेठी राजवाहा के बांयी पटरी पर किमी0 29.994 से किमी0 34.314 तक पक्की सड़क निर्माण कार्य की परियोजना" हेतु प्राविधानित धनराशि रु0 154.12 लाख में से रु0 129.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत हुई है।

उक्त प्राप्त वित्तीय स्वीकृति के कम में मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, लखनऊ को उनके सम्मुख अंकित धनराशि व्यय किये जाने हेतु एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:-

(आकड़े लाख रुपये में)

लेखाशीर्षक/उपशीर्षक/मद	मुख्य अभियन्ता का नाम	प्रदिष्टि धनराशि
अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय 09-शारदा सहायक (वाणिज्यिक) 051-निर्माण 10-नहरें 1014-सम्बद्ध कार्य 24-वृहत्त निर्माण कार्य	(शारदा सहायक) लखनऊ	129.00

रुपया एक करोड़ उनतीस लाख मात्र

उपरोक्त धनराशि का आवंटन समय-समय पर जारी कार्यालय ज्ञापों एवं उपरोक्त शासनादेश में क्रमांक-1 से 14 तक दिये नियमों/शर्तों के अधीन किया जाता है।

(भूपेन्द्र शर्मा)

प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।

संख्या: जी-688/(1)/आई0बी0/तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी-प्रथम/द्वितीय), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 3- संयुक्त सचिव, सिंचाई अनुभाग-4, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (मध्य) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 5- मुख्य अभियन्ता (अग्रिम नियोजन)/ (अनुश्रवण)/ (सूचना प्रणाली संगठन) सिं0 वि0, उ0प्र0, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (शारदा सहायक) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 7- वित्त नियंत्रक, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 8- अधिशासी अभियन्ता (बजट) सिंचाई विभाग, उ0 प्र0, लखनऊ को उक्त शासनादेश की प्रति सहित।
- 9- प्रशासनिक अधिकारी (बजट) सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 10- कट फाईल।

(राशिद रजा खान)

मुख्य अभियन्ता (बजट)

कृते प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग।